समक्ष रामेश्वर मलिक, न्यायमूर्ति

एम.एस. अहलावत – *याचिकाकर्ता*

बनाम

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण और
अन्य - *उत्तरदाता*

2004 का सीडब्ल्यूपी नंबर 19254

17 दिसम्बर 2014

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 -* हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण -** ***याचिकाकर्ता के एसीआर में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणी - प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को गैर-मौखिक आदेश पारित करके खारिज कर दिया गया था - याचिकाकर्ता को उसके एसीआर में दर्ज कथित संदिग्ध ईमानदारी के आधार पर अनिवार्य रूप से सेवा से सेवानिवृत्त कर दिया गया था - 2.3.1971 के सरकारी निर्देशों के मद्देनजर, प्रतिवादी नंबर 2 प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने के लिए सक्षम नहीं था। जब तक कि उसने वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम 3 महीने की अवधि के लिए याचिकाकर्ता का काम नहीं देखा था - याचिका को सभी परिणामी लाभों के साथ अनुमति दी गई थी।

यह अभिनिर्धारित किया गया कि चूंकि वर्ष 1998-99 के लिए याचिकाकर्ता के एसीआर में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणी और 3.10.2001 के अनुबंध पी-5 के तहत व्यक्त की गई प्रतिकूल टिप्पणी और 31.8.2004 (अनुबंध पी-8) के आदेश में गैर-भाषी और गूढ़ आदेश पारित करके प्रतिकूल टिप्पणी के खिलाफ याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया है, इसलिए इसे स्पष्ट रूप से अवैध पाया गया है। उन्हें इसके द्वारा अलग रखा जाता है। इसी प्रकार, दूसरी रिट याचिका अर्थात 2006 की सीडब्ल्यूपी संख्या 9975 को भी अनुमति दी जाती है, दिनांक 9.6.2006 (अनुलग्नक पी-1) के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आक्षेपित आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा आर.के.पंजेटा के मामले (सुप्रा) में निर्धारित कानून के विपरीत पाया गया है। इसके प्राकृतिक परिणाम सामने आएंगे। याचिकाकर्ता सभी परिणामी सेवा लाभों के लिए हकदार होगा.

आरके मलिक, सीनियर एडवोकेट और याचिकाकर्ता के वकील रमनदीप सिंह /

जेपी भट्ट, 2004 के सीडब्ल्यूपी नंबर 19254 में प्रतिवादी नंबर 1 के वकील।

2006 के सीडब्ल्यूपी संख्या 9975 में उत्तरदाताओं के लिए कोई नही |

निर्णय

रामेश्वर सिंह मलिक, *न्यायमूर्ति*

1. एक ही याचिकाकर्ता द्वारा दायर 2004 की सीडब्ल्यूपी संख्या 19254 और 2006 की 9975 वाली इन दो रिट याचिकाओं का इस सामान्य आदेश के तहत निपटारा किया जा रहा है, क्योंकि दोनों को डिवीजन बेंच द्वारा दिनांक 7-7-2006 के आदेश के तहत एक साथ सुनवाई करने का आदेश दिया गया था।

2. वर्ष 1998-99 के लिए उनके एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज किए जाने से व्यथित महसूस करना। 3.10.2001 (अनुबंध पी-5) और दिनांक 31.8.2004 का आदेश (अनुलग्नक पी8) जिसमें प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को एक गैर-भाषी आदेश पारित करके खारिज कर दिया गया था, याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत तत्काल रिट याचिकाओं के माध्यम से इस अदालत का दरवाजा खटखटाया है।

3. याचिकाकर्ता ने मंडमस की प्रकृति में एक रिट की भी मांग की, जिसमें प्रतिवादियों को निर्देश दिया गया कि वे याचिकाकर्ता को अधीक्षक और सहायक संपदा अधिकारी के रूप में पदोन्नति के लिए विचार करें, जिस तारीख से उनके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया है। दूसरी रिट याचिका में, याचिकाकर्ता ने दिनांक 9.6.2006 (अनुबंध पी-1) के आक्षेपित आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत उन्हें वर्ष 1998-99 के लिए उनकी वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (संक्षेप में 'एसीआर') में दर्ज उनकी कथित संदिग्ध ईमानदारी के आधार पर 55 वर्ष की आयु में सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया गया था।

4. प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी और उसके अनुसरण में, प्रतिवादियों द्वारा अलग-अलग लिखित बयान दायर किए गए थे। प्रतिवादी नंबर 2 ने अपना अलग लिखित बयान दायर किया। रिट याचिका को इस न्यायालय

की खंडपीठ द्वारा दिनांक 5-9-2006 के आदेश द्वारा नियमित सुनवाई के लिए स्वीकार किया गया था। इस तरह यह न्यायालय इस मामले की सुनवाई कर रहा है।

5. याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि 2.3.1971 (अनुबंध पी -9) के सरकारी निर्देशों के मद्देनजर, प्रतिवादी नंबर 2 याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने के लिए सक्षम नहीं था, जब तक कि उसने उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए याचिकाकर्ता के काम और आचरण को नहीं देखा होगा। रिट याचिका के पैरा 7 में दिए गए कथनों पर भरोसा करते हुए, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी नंबर 2, वास्तव में, याचिकाकर्ता के काम और आचरण को केवल 50 दिनों की अवधि के लिए देखा है, जिसके कारण वह वर्ष 1998-99 के लिए याचिकाकर्ता के एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने के लिए सक्षम नहीं था (अनुबंध पी -5)। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने आगे तर्क दिया कि याचिकाकर्ता का 25 साल का सेवा रिकॉर्ड है और 25 वर्षों की इस अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता को कभी भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दी गई थी। वह प्रतिवादी नंबर 1 के साथ-साथ प्रतिवादी नंबर 2 की ओर से दायर लिखित बयानों के संबंधित पैराग्राफ का भी उल्लेख करते हैं, यह तर्क देने के लिए कि याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के पैरा 7 और 14 (2) में लिए गए विशिष्ट और वर्गीकृत कथनों का उत्तरदाताओं द्वारा उचित उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि वास्तव में, यह प्रतिवादी नंबर 2 था, जिसे विशेष रूप से याचिकाकर्ता द्वारा लिए गए कथनों का जवाब देना था, लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहा, जिसके कारण याचिकाकर्ता द्वारा ली गई बातों को स्वीकार किया जाएगा। अपनी दलील के समर्थन में, याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ओम ***प्रकाश*** *बनाम* ***हरियाणा राज्य और अन्य***[1] में इस अदालत के फैसले पर भरोसा करते हैं। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील ने 2006 की दूसरी रिट याचिका यानी सीडब्ल्यूपी संख्या 9975 में अनिवार्य सेवानिवृत्ति (अनुबंध पी -1) के 9.6.2006 के आक्षेपित आदेश का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत किया कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का लागू आदेश प्रकृति में कलंकपूर्ण और दंडात्मक था, जो ***आरके पंजेटा*** *बनाम* ***हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड और अन्य*** में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है।दिनांक 25-04-2000 को अनुपत्र पी-9 के माध्यम से निर्णय लिया गया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने कुछ दंडों का उल्लेख करते हुए अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आक्षेपित आदेश को पारित करते समय

---

[1] 1995 (4) एससीटी 275

तथ्यात्मक रूप से गलत दृष्टिकोण पर कार्रवाई की, जिसे इस न्यायालय द्वारा पहले ही 26.4.2005 के आदेश (अनुबंध पी -4) के साथ-साथ अनुबंध पी -6 के माध्यम से रद्द कर दिया गया था। अंत में, वह पत्र पी-5 और दिनांक 31.8.2004 के आदेश (एनरक्शुर पी-8) के माध्यम से याचिकाकर्ता को दी गई प्रतिकूल टिप्पणियों को रद्द करने की प्रार्थना करता है, जिसके तहत याचिकाकर्ता के स्व-निहित प्रतिनिधित्व को इन दोनों रिट याचिकाओं को अनुमति देकर एक गैर-भाषी और गूढ़ आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। वह मंडामस की प्रकृति में एक रिट के लिए भी प्रार्थना करता है, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ता को अगले उच्च पद पर पदोन्नति के लिए विचार करें, जिस तारीख से उसके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया है, जिसमें सभी परिणामी सेवा लाभ शामिल हैं।

6. इसके विपरीत, प्रतिवादी नंबर 1 के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि प्रतिवादी नंबर 2 ने पांच महीने से अधिक यानी 26.6.1998 से 3.12.1998 तक याचिकाकर्ता के काम को देखा है, इसलिए दिनांक 2.3.1971 (अनुबंध पी -9) के निर्देशों की आवश्यकता का अनुपालन किया गया था और प्रतिवादी नंबर 2 वर्ष 1998-99 के लिए अपने एसीआर में याचिकाकर्ता के खिलाफ प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज करने के लिए सक्षम था। याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील द्वारा भरोसा किए गए फैसले के बारे में, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उक्त निर्णय तथ्यों पर अलग-अलग था। वह रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना करता है।.

7. पक्षकारों के वकीलों को काफी विस्तार से सुनने के बाद, मामले के रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अवलोकन करने और उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचारपूर्वक विचार करने के बाद, इस अदालत का विचार है कि ऊपर दिए गए वर्तमान मामले के अजीब तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, इन दोनों रिट याचिकाओं को अनुमति दी जानी चाहिए। वर्ष 1998-99 के लिए याचिकाकर्ता के एसीआर में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणियां, अनुबंध पी -5 के तहत रद्द की जा सकती हैं, जो अधिकार क्षेत्र के बिना कार्रवाई है। इसी तरह, लागू आदेश अनुबंध पी -8 भी पूरी तरह से गैर-बोलने वाले और गूढ़ आदेश होने के कारण रद्द किया जा सकता है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता मंडमस की प्रकृति में एक रिट का भी हकदार है, जिसमें प्रतिवादी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वह सभी परिणामी सेवा लाभों के साथ अपने कनिष्ठों को पदोन्नत किए जाने की तारीख से अधीक्षक और सहायक संपदा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए उस पर विचार करें। चूंकि दूसरी रिट याचिका में लागू अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आदेश कलंकात्मक और दंडात्मक प्रकृति का है, इसलिए इसे बनाए नहीं रखा जा सकता है। ऐसा

कहने के लिए, कारण एक से अधिक हैं, जो इसके बाद दर्ज किए जा रहे हैं।.

8. याचिकाकर्ता ने 50 कार्य दिवसों के बारे में बारीक विवरण बताया है, जिसके दौरान प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा उनके काम और आचरण को देखा गया था। रिट याचिका के पैरा 7 में बहुत विशिष्ट और श्रेणीबद्ध कथन लिए गए हैं और उसके प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैं: –

"तारीखें	दिन	यात्रा कार्यक्रम
8.7.98 से 9.7.98	(2 दिन)	हिसार से चंडीगढ़
12.9.98 से 13.7.98	(2 दिन)	हिसार से चंडीगढ़
15.8.98 से 16.8.98	(2 दिन)	हिसार से चंडीगढ़
27.8.98 से 28.8.98	(2 दिन)	हिसार से दिल्ली
13.9.98 से 15.8.98	(3 दिन)	हिसार से चंडीगढ़
24.9.98	(1 दिन)	हिसार से चंडीगढ़
28.11.98	(1 दिन)	हिसार से दिल्ली
1.12.98 से 2.12.98	(2 दिन)	हिसार से चंडीगढ़
कुल	(15 दिन)	

इसलिए, उपरोक्त अवधि में, प्रतिवादी नंबर 2 15 दिनों के लिए दौरे पर था। इसलिए प्रतिवादी नंबर 2 ने केवल 50 दिनों के लिए याचिकाकर्ता का काम देखा है। तैयार संदर्भ के लिए विवरण नीचे दिया गया है:

24.6.1998 से 3.12.1998 तक की कुल अवधि = 163 दिन याचिकाकर्ता के अर्जित अवकाश/आकस्मिक अवकाश/राजपत्रित अवकाश/भ्रमण कार्यक्रमों/शनिवार और रविवार का विवरण:

अर्जित अवकाश		42 दिन
आकस्मिक अवकाश		05 दिन
राजपत्रित छुट्टियां: 06 दिन यात्रा कार्यक्रम, 11 दिन, शनिवार/रविवार, 34 दिन		
कुल		98 दिन
15 दिन, प्रतिवादी नंबर 2 के दौरे पर था	15 दिनों	
	(98+15)	113 दिन
	कुल अवधि	163 दिन
		---

50 दिन

इसलिए, प्रतिवादी नंबर 2 ने वास्तव में याचिकाकर्ता का काम केवल 50 दिनों के लिए देखा है।

9. इस संबंध में, प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा दायर लिखित बयान बहुत प्रासंगिक था, क्योंकि यह उसके खिलाफ एक विशिष्ट आरोप था कि उसने याचिकाकर्ता के कामकाज को केवल 50 दिनों की अवधि के लिए देखा है। हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि प्रतिवादी नंबर 2 ने अपने लिखित बयान के पैरा 7 में निम्नलिखित कथन लेते हुए याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए उपरोक्त विशिष्ट कथनों को वस्तुतः स्वीकार कर लिया: –

"रिट याचिका के पैरा नंबर 7 की सामग्री को जानकारी के अभाव में अस्वीकार कर दिया जाता है। जवाब देने वाला प्रतिवादी किसी भी तरह से याचिका के पैरा नंबर 7 की सामग्री से संबंधित नहीं है।

10. रिट याचिका के पैरा 14 (ii) में याचिकाकर्ता द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में भी यही स्थिति थी, जिसमें उन्होंने 25 साल की अच्छी सेवा प्रदान करने का दावा किया है और उक्त अवधि के दौरान, उन्हें कभी भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं दी गई थी। रिट याचिका के पैरा 14 (ii) में कहा गया है: –

"14 (2) याचिकाकर्ता पिछले लगभग 25 वर्षों से सेवा में है और विवादित टिप्पणी (पी -5) को छोड़कर याचिकाकर्ता के खिलाफ अखंडता के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। याचिकाकर्ता को 29.5.79 को सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था और अब तक उसने 25 से अधिक वर्षों की सेवा प्रदान की है और अब तक याचिकाकर्ता की 25 गोपनीय रिपोर्ट विभिन्न गोपनीय रिपोर्टिंग अधिकारियों द्वारा लिखी गई हैं। उनकी सभी रिपोर्ट अच्छी या अच्छी से बेहतर हैं और याचिकाकर्ता को कभी भी कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं बताई गई थी। इसलिए याचिकाकर्ता की ईमानदारी के बारे में कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं है। वर्ष 1998-99 में भी अन्य गोपनीय रिपोर्टिंग प्राधिकारी ने 1-4-1998 से 23-6-98 और 4-12-1998 से 31-3-1999 तक की अवधि के संबंध में लिखा था और अन्य गोपनीय रिपोर्टिंग प्राधिकारी ने उपर्युक्त अवधि की गोपनीय रिपोर्ट में अच्छी टिप्पणी की है। अतः इन 50 दिनों को छोड़कर वर्ष 199899 में ही शेष अवधि की गोपनीय रिपोर्ट अच्छी या बेहतर होती है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि ईमानदारी के बारे में प्रतिकूल टिप्पणी प्रतिवादी नंबर 2 द्वारा बाहरी विचारों पर लिखी गई है।

11. प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दायर लिखित बयान के संबंधित पैरा 14 (ii) निम्नानुसार है: –

(ii) पैरा संख्या 14 के उपपैरा (ii) की विषय-वस्तु को ज्ञान के अभाव में अस्वीकार कर दिया जाता है। जवाब देने वाला प्रतिवादी किसी भी तरह से याचिका के इस उप-पैरा की सामग्री से संबंधित नहीं है। हालांकि, यह प्रस्तुत किया जाता है कि 24.6.98 से 3.12.98 तक उपरोक्त अवधि के दौरान याचिकाकर्ता के रिपोर्टिंग अधिकारी रहे प्रतिवादी द्वारा याचिकाकर्ता के एसीआर में की गई प्रविष्टियां वास्तव में उनके काम की शैली और आधिकारिक आचरण को दर्शाती हैं।

12. पक्षों की उपरोक्त दलीलों को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलेगा कि प्रतिवादी नंबर 2 दोनों भौतिक मुद्दों पर याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए विशिष्ट कथनों का जवाब देने में बुरी तरह से विफल रहा है। सबसे पहले, उन्होंने केवल ज्ञान की कमी के कारण रिट याचिका के पैरा 7 में ली गई बातों से इनकार किया और आगे कहा कि रिट याचिका के पैरा 7 की सामग्री उनसे संबंधित नहीं थी। लिखित बयान के पैरा 7 में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दिए गए ये कथन वास्तव में तथ्यात्मक रूप से गलत थे। इसी तरह, उन्होंने याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के पैरा 14 (ii) में लिए गए विशिष्ट कथनों से इनकार नहीं किया, जबकि अपने लिखित बयान के पैरा 14 (ii) में ज्ञान की कमी के कारण इसकी सामग्री से इनकार किया।

13. रिकॉर्ड पर इस निर्विवाद तथ्य की स्थिति को देखते हुए, ***ओम प्रकाश के मामले*** *(सुप्रा) में इस अदालत का फैसला* याचिकाकर्ता के मामले को पूरी तरह से कवर करता है। निर्णय के पैरा 9 में की गई प्रासंगिक टिप्पणियां, जिनका वर्तमान मामले में लाभप्रद रूप से पालन किया जा सकता है, निम्नानुसार पढ़ें: –

"हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी निर्देशों के उपरोक्त उद्धृत उद्धरणों से, यह स्पष्ट है कि रिपोर्टिंग अधिकारी के पास किसी अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है, जब तक कि उसने कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए अपना काम नहीं देखा हो। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा गोपनीय रिपोर्ट में टिप्पणी करने के लिए शर्त उदाहरण के रूप में। ये निर्देश जुड़वां वस्तुओं के साथ जारी किए गए हैं। सबसे पहले, यह रिपोर्टिंग अधिकारी को एक अधिकारी के रिकॉर्ड को अनावश्यक रूप से बढ़ाने से रोकने के लिए है। दूसरे, इसका उद्देश्य उस अधिकारी के रिकॉर्ड के क्षरण को रोकना है जिसने रिपोर्टिंग अधिकारी के तहत तीन महीने तक भी सेवा नहीं की होगी। इसकी पृष्ठभूमि में मुझे सहायक महाधिवक्ता की इस दलील में कोई दम नजर नहीं आता कि भले ही याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 3 के तहत तीन महीने से कम समय

तक सेवा की थी, लेकिन प्रतिवादी के पास याचिकाकर्ता की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में प्रतिकूल टिप्पणी करने का अधिकार था। मेरा यह दृष्टिकोण 1993 के सीडब्ल्यूपी संख्या 14801 ***सतबीर सिंह*** *बनाम* ***हरियाणा राज्य और अन्य, 1993 (2) एससीटी 494 (पी एंड एच) में डिवीजन बेंच के 15.3.1994 के फैसले से पूरी तरह से समर्थित है।***

14. जहां तक अनुलग्नक पी-8 के आदेश का संबंध है, इसे स्पष्ट रूप से अवैध पाया गया है, क्योंकि यह एक गैर-भाषी और गूढ़ आदेश है। यह निम्नानुसार है: –

नोटिस में कहा गया है, 'यह सूचित किया जाता है कि 29 जून, 2002 को आपका प्रतिवेदन वर्ष 1998-99 के लिए एसीआर में दर्ज प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ दिया गया था और इस कार्यालय ज्ञापन संख्या 2008-99 के माध्यम से अवगत कराया गया था। ईए-32000/26131 दिनांक 3.10.2000 को सक्षम प्राधिकारी द्वारा विचार किया गया है और रिकॉर्ड करने के लिए भेज दिया गया है।

15. चूंकि प्रतिवादी नंबर 2 ने वर्ष 1998-99 के लिए याचिकाकर्ता के एसीआर में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज की है, जिसमें उसकी ईमानदारी को संदिग्ध के रूप में दर्ज करना शामिल है, इसलिए प्रतिवादी नंबर 1 एक तर्कसंगत और बोलने वाला आदेश पारित करने के लिए बाध्य था। तथापि, दिनांक 31-8-2004 (अनुलग्नक पी-8) के आक्षेपित आदेश को पारित करते समय वह ऐसा करने में बुरी तरह विफल रहे और इस कारण से भी इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

16. 2006 की दूसरी रिट याचिका यानी सीडब्ल्यूपी संख्या 9975 पर आते हुए, मामले के रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद यह पाया गया है कि याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ वकील का यह तर्क सही था कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति का आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी -5 प्रकृति में कलंकपूर्ण और दंडात्मक था, जिसके कारण यह ***आरके पंजेता के मामले*** *(सुप्रा)* में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत था। साथ ही इस न्यायालय की खंडपीठ द्वारा 1999 के सीडब्ल्यूपी सं.9981 (एस.बी. पनिहार बनाम हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड) अनुलग्नक पी-10 में पारित दिनांक 29.1.2001 के आदेश के साथ-साथ। आक्षेपित आदेश अनुलग्नक पी-1 के अवलोकन से पता चलता है कि यह निस्संदेह एक कलंकपूर्ण और दंडात्मक आदेश था और यह ***आरके पंजेता के मामले*** *(सुप्रा) में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून और* एसबी पनिहार के मामले *(**सुप्रा**) में इस न्यायालय की*

खंडपीठ द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार अधिकार क्षेत्र के **बिना एक आदेश था।**

17. कोई अन्य तर्क नहीं दिया गया था।

18. उपरोक्त कारणों के साथ ऊपर उल्लिखित मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि चूंकि वर्ष 1998-99 के लिए याचिकाकर्ता के एसीआर में प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा दर्ज की गई प्रतिकूल टिप्पणी और 31.8.2004 के आदेश (अनुबंध पी -8) के तहत एक गैर-भाषी और गूढ़ आदेश पारित करके प्रतिकूल टिप्पणियों के खिलाफ याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर दिया गया है। यदि इसे स्पष्ट रूप से अवैध पाया गया है, तो इसे रद्द किया जाता है। इसी प्रकार, दूसरी रिट याचिका अर्थात 2006 की सीडब्ल्यूपी संख्या 9975 को भी स्वीकार किया जाता है, दिनांक 9.6.2006 (अनुलग्नक पी-1) के अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आक्षेपित आदेश को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ***आरके पंजेटा के मामले*** *(सुप्रा)* में निर्धारित कानून के विपरीत पाया गया है । इसके प्राकृतिक परिणाम सामने आएंगे। याचिकाकर्ता सभी परिणामी सेवा लाभों के लिए हकदार होगा।

19. नतीजतन, प्रतिवादी नंबर 1 को निर्देश दिया जाता है कि वह याचिकाकर्ता को अधीक्षक और सहायक संपदा अधिकारी के पद पर पदोन्नति के लिए विचार करे, जिस तारीख से उसके कनिष्ठों को पदोन्नत किया गया है। यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि याचिकाकर्ता भी सभी परिणामी सेवा लाभों का हकदार होगा।

20. चूंकि याचिकाकर्ता के कानूनी रूप से उचित दावे को इन सभी वर्षों के लिए अस्वीकार कर दिया गया था, इसलिए याचिकाकर्ता बकाया राशि के भुगतान की तारीख से 9% प्रति वर्ष ब्याज के साथ बकाया राशि का हकदार होगा। प्रतिवादी नंबर 1 को आज से दो महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्य करने दें, जिसमें विफल रहने पर याचिकाकर्ता @ 12% प्रति वर्ष ब्याज का हकदार होगा। चूंकि याचिकाकर्ता इन रिट याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान 30-4-2008 को सेवा से सेवानिवृत्त हो गया है, इसलिए वह केवल काल्पनिक लाभों का हकदार होगा।.

21. उपर्युक्त टिप्पणियों और जारी किए गए निर्देशों के साथ, इन दोनों रिट याचिकाओं को अनुमति दी जाती है, हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं दिया गया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

लक्ष्य गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

चरखी दादरी , हरियाणा